

प्रेस नोट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 07.12.2025

01 नफर वांछित गैंगस्टर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष पीपीगंज के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 66/2025 धारा 3(1),2(ख)उपधारा(i),2(ख)उपधारा(xi) उ0प्र0 गिरोह बन्द क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित अभियुक्ता हेमवन्ती पटेल पत्नी गणेश पटेल निवासी राजू टेट हाउस भुजौली कालोनी थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्ता द्वारा अपने गिरोह के अन्य लोगों के साथ मिलकर लोगों को जमीन बेचने के नाम पर अवैध दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर अपने आर्थिक व दुनियावी लाभ के लिए अवैध रूप से धन अर्जित किया जाता है। जिसके संबंध में थाना चिलुआताल पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

हेमवन्ती पटेल पत्नी गणेश पटेल निवासी राजू टेट हाउस भुजौली कालोनी थाना कोतवाली जनपद देवरिया

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 66/2025 धारा 3(1),2(ख) उपधारा (i),2(ख) उपधारा (xi) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 247/2024 धारा 2(b)(i),2(b)(xi),3(i) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 751/2023 धारा 120बी0,419,420,467,468,471 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार की टीम-

1. अरुण कुमार सिंह थानाध्यक्ष थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अजीत कुमार यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
3. का0 अजनी सिंह यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
4. का0 आकाश यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
5. म0का0 रीतू कश्यप थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर